## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 589 / 2012

संस्थापन दिनांक 30.07.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1—महीपत पुत्र अजमेरसिंह कुशवाह उम्र 30 साल 2—रायसिंह पुत्र अजमेरसिंह कुशवाह उम्र 23 साल निवासीगण ग्राम छरेटा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

- अभियुक्तगण

## <u>निर्णय</u>

2.

( आज दिनांक.....को घोषित )

- अभियुक्त संग्रामिसंह के फौत होने के कारण यह निर्णय केवल अभियुक्त महीपत व रायिसंह के संबंध में किया जा रहा है।
  - उपरोक्त अभियुक्तगण महीपत व रायसिंह को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34(2) एवं 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ह गोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 294, 323/34(1) एवं 506 भाग दो भा.द. स. विकल्प में धारा 190 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.07.12 को रात्रि 9:00 बजे या उसके लगभग ग्राम छरेटा स्थित फरियादी राकेश अ0सा02 के घर के पास स्थित आम रास्ते पर अश्लील शब्द उच्चारित कर बृजेन्द्र अ0सा01 को क्षोभ कारित किया और सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में बृजेन्द्र अ0सा01 को स्वेच्छया उपहित कारित की तथा बृजेन्द्र अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया विकल्प में आहत बृजेन्द्र अ0सा01 को इस प्रयोजन से जान से मारने की धमकी दी तािक वह आपसे होने वाली क्षिति से संरक्षा हेतु लोकसेवक (पुलिस) जोिक फरियादी की संरक्षा करने के लिए उत्प्रेरित हो।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.07.12 को

रात्रि 9:00 बजे फरियादी राकेश अ0सा02 थाने में रिपोर्ट कर अपने गांव पहुंचा तभी उसके घर के पास रास्ते में आरोपीगण संग्रामिसंह, महीपत, रायिसंह मिले और उसे अश्लील गालियां देने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो तीनों लोग बोले कि मादरचोद अब रिपोर्ट करना फिर तीनों लोगों ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की जब उसकी पत्नी लाडोबाई अ0सा03 व लड़का बृजेन्द्र अ0सा01 बचाने आया तो तीनों ने उनकी भी मारपीट की तथा उसके सिर में मुक्का मारा जिससे मूंदी चोट आई तथा उसकी पत्नी के दाहिने हाथ की कोहनी, बांये हाथ की अंगुलियों व बांये पैर में घुटने में चोट आई तथा उसके लड़के के सिर में चोट आई। मौके पर पानिसंह, हेतराम थे जिन्होंने बचाया बाद में तीनों आरोपीगण बोले मादचोद अब रिपोर्ट को गया तो जान से खतम कर देंगें। फरियादी राकेश अ0सा02 की रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अप0क0 65/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. अारोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न है कि :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 19.07.12 को रात्रि 9:00 बजे या उसके लगभग ग्राम छरेटा स्थित फरियादी राकेश अ0सा02 के घर के पास स्थित आम रास्ते पर अश्लील शब्द उच्चारित कर बृजेन्द्र को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में बृजेन्द्र अ०सा०१ को स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर बृजेन्द्र अ०सा०1 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आहतगण को इस प्रयोजन से जान से मारने की धमकी दी तािक वह आपसे होने वाली क्षिति से संरक्षा हेतु लोकसेवक (पुलिस) जोिक फरियादी की संरक्षा करने के लिए वैध रूप से सशक्त हो, को आवेदन / एफ.आई.आर. करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित हो ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का सकारण निष्कर्ष //

6. बृजेन्द्र अ0सा01 ने कथन किया है कि राकेश अ0सा02 उसका पिता और लाडोबाई अ0सा03 उसकी मां हैं। दो वर्ष पूर्व आषाढ़ माह में शाम 5 बजे की घटना है वर्षात के कारण आरोपीगण के चबूतरे पर कीचड़ हो गया था। तब आरोपीगण गाली गलौच करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। संग्रामिसंह ने उसे डण्डा मारा जो सिर में लगा। रीना और निशा जो आरोपीगण की पुत्रियां हैं, ने उसे डण्डा मारा जिससे पीठ में चोट आई। आरोपी संग्रामिसंह ने उसे पटका जिससे उसकी पीठ में चोट आई। मोहल्ले के पानिसंह और बृजेश ने उसे बचाया

फिर वह रिपोर्ट करने चला गया। जब वह रिपोर्ट करके लौटा तब आरोपीगण ने कहा कि रिपोर्ट क्यों की और आठ बजे फिर आरोपीगण ने उन्हें मारा। संग्रामिसंह ने उसे डण्डा मारा जिससे उसके सिर में चोट आई। फिर वह सीधे रिपोर्ट करने चला गया।

- 7. साक्षी राकेश अ०सा०२ और लाडोबाई अ०सा०३ जोकि बृजेन्द्र अ०सा०1 के माता पिता हैं, ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने अश्लील गाली देकर बृजेन्द्र अ०सा०1 की मारपीट की थी इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अतः आहत के ही माता पिता द्व ारा विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।
- 8. बृजेन्द्रसिंह का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी—5 विवादग्रस्त न होना बताया है।
- अतः बृजेन्द्र अ0सा01 की एकल साक्ष्य पर अभियोजन का मामला निर्भर 9. है उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में बताया गया है कि प्रत्यक्ष साक्षीगण उसके मातापिता ने बुजेन्द्र अ०सा०१ के साथ अभियोजित घटना घटित होने से इंकार किया है। बुजेन्द्र अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि झगडा उसके घर के पास गैलरी में हुआ था। जबकि नक्शामौका प्र0पी–2 के अनुसार ध ाटना आम रोड की है जहां से फरियादी का मकान भी दो घर की दूरी पर है। चोर के संबंध में बृजेन्द्र अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया है कि संग्रामसिंह ने उसके सिर में डण्डा मारा था। लेकिन कथन प्र0डी-1 के अनुसार संग्रामिसंह ने मात्र बुजेन्द्र अ०सा०१ के सिर में मुक्का मारा है जिस विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर इस साक्षी ने उक्त लोप का कारण बताने में असमर्थता व्यक्त की है। जबिक चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार भी आहत के मात्र सिर पर एक खरोंच है। बृजेन्द्र अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्तगण के अलावा उनकी पुत्री रीना और निशा द्वारा भी मारपीट करना बताया है जिसका भी लोप कथन प्र0डी–1 में है जिसका कारण बताने में इस साक्षी ने असमर्थता बतायी है। अभियोजन मामले के अनुसार घटना रात्रि 9 बजे की है। लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में बूजेन्द्र अ०सा०१ ने ९ बजे की घटना का वर्णन नहीं किया है। अपित दो बार घटना होना और दो बार रिपोर्ट करने जाना बताया है। जबकि अभियोजन मामले के अनुसार मात्र एक रिपोर्ट अभिलेख पर है और इस रिपोर्ट प्र0पी–1 में पूर्व की रिपोर्ट का वर्णन नहीं है। अतः बुजेन्द्र अ0सा01 की न्यायालयीन साक्ष्य से घटना का समय, घटना का स्थान, उपहति कारित करने और दो घटना का वर्णन करने से उपरोक्तानुसार महत्वपूर्ण लोप का विरोधाभास स्पष्ट हुआ है जिससे एकल साक्षी के कथन भी निर्भर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। बुजेन्द्र अ0सा01 ने न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने अथवा अश्लील गालियों के तथ्य भी स्पष्ट नहीं किए हैं। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 19.07.12 को रात्रि 9:00 बजे या उसके लगभग ग्राम छरेटा स्थित फरियादी राकेश अ०सा102 के घर के पास स्थित आम रास्ते पर अश्लील शब्द उच्चारित कर बृजेन्द्र अ०सा०१ को क्षोभ कारित किया और सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में बुजेन्द्र अ०सा०१ को स्वेच्छ्या उपहति कारित की तथा बुजेन्द्र अ०सा०१ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित

किया विकल्प में आहत बृजेन्द्र अ०सा०१ को इस प्रयोजन से जान से मारने की धमकी दी ताकि वह आपसे होने वाली क्षति से संरक्षा हेतु लोकसेवक (पुलिस) जोकि फरियादी की संरक्षा करने के लिए वैध रूप से सशक्त हो, को आवेदन / एफ.आई.आर. करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित हो।

10. परिणामस्वरूप आरोपीगण को धारा 294, 323 / 34(1) एवं 506 भाग दो भा.द.स. विकल्प में धारा 190 भा.द.स. के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

किया जाता है। 11. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

WITHOUT PRESIDENT BUTTER BUTTE